

स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से जुड़े सेलबिरटीज़ के लिये अतिरिक्त दशा-नरिदेश

प्रलिस के लिये:

स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से जुड़े सेलबिरटीज़ के लिये अतिरिक्त दशा-नरिदेश, भ्रामक वजिजापनों की रोकथाम और भ्रामक वजिजापनों के लिये समर्थन हेतु दशा-नरिदेश, 2022, [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019](#), [उपभोक्ता कल्याण कोष](#)

मेन्स के लिये:

स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से जुड़े सेलबिरटीज़ के लिये अतिरिक्त दशा-नरिदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती क्षेत्र से जुड़े सेलबिरटीज़, इनफ्लूएंसर और वरचुअल इनफ्लूएंसर के लिये अतिरिक्त दशा-नरिदेश जारी किये हैं, इसके तहत स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत/वजिजापन करते समय उनके लिये अस्वीकरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है।

- ये दशा-नरिदेश पहले से ही स्थापित भ्रामक वजिजापनों की रोकथाम और भ्रामक वजिजापनों के लिये समर्थन हेतु दशा-नरिदेश, 2022 का वसितारति रूप है।
- अतिरिक्त दशा-नरिदेशों का उद्देश्य भ्रामक वजिजापनों, नरिधार दावों से नपिटना और स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती संबंधी वजिजापनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

दशा-नरिदेश के प्रमुख बदि:

- स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों का प्रकटीकरण:**
 - मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य तथा फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने अथवा स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते समय यह बताना अनिवार्य होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य/फिटनेस विशेषज्ञ और चिकित्सा व्यवसायी हैं।
- स्पष्ट अस्वीकरण/डिसक्लेमर प्रदान करना अनिवार्य:**
 - स्वास्थ्य विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा व्यवसायी के रूप में सेलबिरटीज़, इनफ्लूएंसर और वरचुअल इनफ्लूएंसर को जानकारी साझा करते समय, उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देते समय या कोई स्वास्थ्य संबंधी दावे करते समय स्पष्ट अस्वीकरण देना होगा।
 - उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादों या सेवाओं का वजिजापन देखने वाले यह जन सकें कि उनकी पुष्टि को पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान अथवा उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
 - समर्थनकर्ताओं द्वारा अपने दर्शकों को आहार, व्यायाम या दवा की दिनिचर्या में कोई भी महत्त्वपूर्ण बदलाव करने से पहले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों से सलाह लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- पर्याप्त उचित परशिरम:**
 - किसी भी उत्पाद या सेवा का समर्थन करने से पहले समर्थनकर्ताओं को पर्याप्त परशिरम करना होगा। वे अधिमानतः समर्थन से पहले उत्पाद या सेवा का यथासंभव उपयोग या उपभोग कर सकते हैं।
 - इनफ्लूएंसर और वरचुअल इनफ्लूएंसर को झूठे, भ्रामक या अतिरिजति दावे करने से बचना चाहिये जो संभावित रूप से उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।
- प्रकटीकरण की सीमा:**
 - प्रकटीकरण या अस्वीकरण की आवश्यकता उन अनुमोदनों, प्रचार और उदाहरणों पर लागू होती है जहाँ स्वास्थ्य संबंधी दावे किये जाते हैं।
 - खाद्य पदार्थों, न्यूट्रास्यूटिकल्स, रोग की रोकथाम, उपचार, इलाज, चिकित्सीय स्थितियों, पुनर्प्राप्त विधियाँ और प्रतिक्रिया वृद्धि जैसे विषय इन नियमों के दायरे में आते हैं।
- सामान्य स्वास्थ्य सलाह के लिये छूट:**
 - स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से संबंधित सामान्य सलाह, जो विशेषित उत्पादों, सेवाओं, स्वास्थ्य स्थितियों या परिणामों से संबंधित नहीं है, इन

नयिमों से मुक्त है।

- उदाहरण के लिये "पानी पीएँ और हाइड्रेटेड रहें," "नयिमति रूप से व्यायाम करें" तथा "पर्याप्त नींद लें" जैसी सलाह हेतु छूट है।

■ **वशिष्ट व्यक्तिगत वचन और व्यावसायिक सलाह:**

- जो सेलेब्रिटीज़ स्वयं को स्वास्थ्य वशिष्टज्ञ के रूप में पेश करते हैं, उन्हें अपनी **व्यक्तिगत राय और पेशेवर सलाह** के बीच स्पष्ट रूप से अंतर सुनिश्चित करना चाहिये।
- उन्हें वशिष्टनीय साक्ष्य के बिना वशिष्ट स्वास्थ्य दावे करने के प्रति आगाह किया जाता है। सटीक चिकित्सा सलाह हेतु दर्शकों को **स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श** करने के लिये प्रोत्साहित करने की अनुशंसा की जाती है।

■ **प्रवर्तन और दंड:**

- इन दशा-नरिदेशों का सक्रिय अनुवीक्षण और कार्यान्वयन **उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जाएगा।**
- उल्लंघन पर **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

उपभोक्ता संरक्षण के लिये पहल:

- [उपभोक्ता कल्याण कोष](#)
- [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी](#)
- [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2021](#)
- [उपभोक्ता संरक्षण \(ई-कॉमर्स\) नियम, 2020](#)
- [राष्ट्रीय उपभोक्ता दविस](#)

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/additional-guidelines-for-health-and-wellness-celebrities>

